

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 194865

प्रारूप - "अ"

शापथपत्र

हम डा. राजन चौपड़ा [नाम अध्याया] एवं डा. मिली गोकुल [नाम तख्त] [नाम अध्याया] एवं तख्त सोतायटी कानाम -दयानन्द दीनानाथ गुप्त आफ इन्स्टीट्यूशनल एजुकेशन सोसायटी पता-स.एच.-25 माडल स्टोन 46 लडानऊ कानपुर हाइवे जगदीशपुर -अजमेर जिला उन्नाव शापथपूर्वक निम्नवात घषान करौडे- 1. यहकि हमारी सोसायटी दयानन्द दीनानाथ गुप्त आफ इन्स्टीट्यूशनल एजुकेशन सोसायटी स.एच. 25 माडल स्टोन 46 लडानऊ कानपुर हाइवे जगदीशपुर -अजमेर जिला उन्नाव नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सन 2023-24 के किया जाना प्रस्तावित है।

2-यहकि हमारी सोसायटी पता -जगदीशपुर तड. इतनगंज जिला उन्नाव भूमि माटांत.- 1201क/0.253हे. व 1200क/1.007हे. व 1200क/0.098हे. व 1206क/0.164हे. व 1204क/0.253हे. कुल रकबा - 1.775 हे. भूमि है।

3-यहकि उपरोक्त भूमिपरकृती प्रकार का कोई भी वाद कित्तीभी न्यायालय में नहीं करवाई और भूमि विवाद रहित है।

मैं इस पत्र को लेखने में पूर्ण रूप से सहित हूँ और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।



Ram Anil Verma

[Signature]

क्रमांक 9 तारीख 9/8/23 मूल्य 100

दिनांक
S.D. G. I. J. S.

राजेश कुमार
विलेज/कस्बा/पंचायत/गाँव
नं०-78, कचेहरी-उन्नाव

Michael

राजेश कुमार
की अस्तित्व व प्रामाण्यता है कि इनकी
सम्बन्धित प्रमाण पत्र/दस्तावेज/संकेत अस्तित्व में

3 4/4

जहाँ समस्त के द्वारा
श्री/श्रीमती/श्रीमान
पुत्र/पुत्री/पुत्रिका
जिनकी पहचान
ने किया है तथा प्रमाण पत्र/दस्तावेज/संकेत अस्तित्व पत्र
के सम्बन्धित प्रमाण पत्र/दस्तावेज/संकेत अस्तित्व में है और
अपने हस्ताक्षर/दिशान्त/संकेत/संकेत अस्तित्व स्वीकार
किया है। अतः मैं प्रमाणित करता हूँ।



4-यहकि उपरोक्तपेपर तोताइटीके नाम उपलब्ध भूमि के माटा संख्या- 1201क/0.253हे, व 1200क/1.007हे. व 1200क/0.098हे. व 1206क/0.164हे. 1204क/0.253हे. कुल रकबा 1.775हे. पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेली संस्थानकी स्थापना किये जाने का प्रस्ताव तोताइटी की बैठक दि.-03/8/2019 द्वारा पारित किया गया है।

- 5-यहकि उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः डिप्लोमा फार्मेली संस्थानके संचालन हेतु भावनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यहकि निरीक्षणसमिति के समक्ष उपरोक्त पेपर तोताइटीके नाम भूमि एवं निर्मित एवं निर्धारित भावनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7-यहकि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भावनों पर फार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेली संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यहकि इस संस्था में फार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्राविधिका प्रदान किया जायेगा।
9. यहकि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भावनों में फार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ.प्र. तथानउ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई. टी. आई आदि का संचालन न तो पूर्वमें कभी किया गया है और नही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यहकि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक ज्ञात रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेली काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यहकि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैयारी तोताइटी द्वारा तत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यहकि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा यदिमेरे संस्थान में किसीभी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवंसम्बद्ध समिति द्वारा लियागया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्रवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ/करतीहूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारीमेंपूर्णरूपसेसत्यहै। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटचित अथवा नुस्तिपूर्ण पये जाते है तोमेरे विरुद्धपरिषद द्वारा नियमानुसार कानूनी संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी ही गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

NOTARY
Ram Anur Verma
Advocate
1991-11

Michael

1